

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी- श्री सुरेश चन्द जाटव नायब तहसीलदार बयाना)

प्र०स० २६/१९ ता०रजु. २०/११/१९ किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक ०१-०१-२०२०

सरकार


बनाम

रामसिंह पुत्र गिरीडी

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का ३६२१९२ ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम नरपेडा नरपेडा के खसरा नम्बर १२३ इल रकवा १३६० हैक्ट. किस्म भूमि बजेट पर सम्बत २०७६ में श्री रामसिंह पुत्र गिरीडी राम नरपेडा, ख० सरापा तह० बयाना ने ०१० ३५८ पर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सयाल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर १२३ रकवा ०१२ हैक्ट. वाके ग्राम नरपेडा ख० सरापा से बेदखल किया जाता है। लगान ०५४ का ५० गुणा पैन्ल्टी राशि २५ रूपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक ०१-०१-२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


नायब तहसीलदार
बयाना